



2026:AHC:51264

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या - 3434 वर्ष 2026

मार्शिला वॉशिंगटन @ मार्शिला बैस

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : संयुक्ता श्रीवास्तव, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, वनदीप

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील इस वर्तमान रिट याचिका को वापस लेना चाहते हैं, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि: (i) प्रतिवादी संख्या 3 को दिनांक 27.06.2024 और 16.03.2013 के अभ्यावेदन पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश देने के लिए मैडेमस की प्रकृति का कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए; (ii) कोई ऐसा रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उचित और सही समझे; (iii) रिट याचिका का खर्च याचिकाकर्ता को दिलाया जाए, और इसमें निहित तकनीकी दोष के कारण याचिकाकर्ता को नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाए।
2. विद्वान स्थायी वकील को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. वर्तमान याचिका को उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई मानकर खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

12 मार्च, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राजेश

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।